न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 42/2021

1 मोहनलाल पुत्र चेतराम।
2 महेन्द्र सिंह पुत्र औंकारमल।
3 जगमाल पुत्र पितराम समस्त जाति जाट निवासीगण नान्द का बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती सीता देवी पत्नी खेमचन्द।
2 सरोज पुत्री खेमचन्द।
3 विजय कुमार पुत्र खेमचन्द।
4 बनवारीलाल पुत्र सांवलराम।
5 कमला देवी पुत्री भगवानाराम।
6 शुभकरण पुत्र भगवानाराम।
7 सुखदेवाराम पुत्र भगवानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण नान्द का बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
8 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
9 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चुड़ेला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
10 आई.डी.बी.आई बैंक लिमिटेड बैंक शाखा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
11 राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड
अधिकारी मलसीसर जिला झुंझुनू मुकदमा उनवानी
खेमचन्द बनाम मोहनलाल वगैरह अन्तर्गत धारा 251
आर.टी.एक्ट 1955 मुकदमा नम्बर 56/2019 आदेश
दिनांक 30.03.2021

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 02.03.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 56/2019 में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस् 1 से 7 ने अदालत मातहत के यहां अपीलान्टस् व शेष रेस्पोडेन्टस् के विरूद्ध धारा 251ए आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रार्थना प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र को अदालत मातहत के दिनांक 30.03.2021 को निर्णित कर बहक रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 से 7 स्वीकार किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए में नियम 68 से 69 आज्ञापक प्रावधान है। विचारण न्यायालय द्वारा इन आज्ञापक प्रावधानों की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। मौका रिपोर्ट उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार से कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई है। इस तथ्य की पुष्टि तहसीलदार के पत्र दिनांक 10.02.2020 से होती है। इसमें विचारण न्यायालय के पत्रांक का कोई अंकन नहीं है। मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इस संदर्भ में अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय ने आपत्ति का कोई निस्तारण किये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष कायम मुकाम का आवेदन भी लंबित था। विचारण न्यायालय ने इस पर भी कोई आदेश पारित किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट की बहस सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तथ्यों के समर्थन में आरआरटी 2016 (1) पेज 649, आरआरटी 2018 (2) पेज 1193, आरबीजे 2016 पेज 540 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के आज्ञापक प्रावधानों की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि में कहीं भी वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। मौका रिपोर्ट आईएलआर द्वारा तैयार की है। मौका रिपोर्ट में सभी बिन्दुओं का विस्तृत अंकन किया गया है। इस प्रकरण में पीठासीन अधिकारी ने भी दो बार मौका देखा है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता होने का कोई अंकन नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। निर्णय की पालना में रिकार्ड में अंकन हो चुका है। मौके पर रास्ता कायम हो चुका है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए में नियम 68 से 69 आज्ञापक प्रावधान है। विचारण न्यायालय द्वारा इन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आज्ञापक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। मौका रिपोर्ट उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार से कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई है। इस तथ्य की पुष्टि तहसीलदार के पत्र दिनांक 10.02.2020 से होती है। इसमें विचारण न्यायालय के पत्रांक का कोई अंकन नहीं है। मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इस संदर्भ में अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय ने आपत्ति का कोई निस्तारण किये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष कायम मुकाम का आवेदन भी लंबित था। विचारण न्यायालय ने इस पर भी कोई आदेश पारित किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं से मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

2-3-22 - वकील अपी० के आवेदन 041 R5 CPC के अन्तर्गत में [illegible] (28/03-22 तक) [illegible]

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी